



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 7 स्था0 (3) प0 स0-14/2023 .....

दिनांक- ...../2026

### आदेश

पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों/पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित वर्ग-03 के कर्मियों की सेवा उनके द्वारा सम्पुष्टि से संबंधित आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्टि की जाती है :-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अंजु कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना।	03.02.1974 28.02.2034	04.03.2015 निम्न वर्गीय लिपिक	23.08.2025 (विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)
2	श्री राकेश कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा।	11.02.1997 28.02.2057	07.04.2018 निम्न वर्गीय लिपिक	09.10.2025 (विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)
3	श्री अतुल वर्मा, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (क्षे0 स्तर), समस्तीपुर।	21.08.1990 31.08.2050	18.08.2017 निम्न वर्गीय लिपिक	12.11.2025 (विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)
4	स्व0 शिवटहल सिंह, भूतपूर्व लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, भोजपुर (आरा)।	17.01.1966 25.12.2016 (मृत्यु)	27.06.1984 लिपिक	24.07.1995 (विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)
5	श्री विष्णु कुमार पासवान, पशुधन सहायक, जिला पशुपालन कार्यालय, अररिया।	28.03.1989 31.03.2049	18.03.2011 पशुधन सहायक	21.10.2024 (हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



2. इस सेवा सम्पुष्टि के फलस्वरूप किसी भी कर्मी की वरीयता प्रभावित नहीं होगी।
3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर/ किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में संबंधित कर्मी की सेवा-सम्पुष्टि को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
4. निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से सभी संबंधित कर्मियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुए इनकी सेवा पुस्त में आदेश की प्रविष्टि निश्चित रूप से करेंगे।
  - इसमें निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
  - इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

(डॉ० अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक :- 7 स्था० (3) प० स०-14/2023.....463(सि) पटना- 15, दिनांक- 03/02/2026

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/सारण क्षेत्र, छपरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/ अररिया/सहायक निदेशक (प० वि०), मध्यम पशु विकास परियोजना (क्ष० स्तर), समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि निर्गत आदेश की प्रविष्टि संबंधित कर्मियों के सेवा पुस्त में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिन कर्मियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति देते हुए आर्थिक लाभ का भुगतान किया गया है। उक्त अधिक राशि का नियमानुकूल समायोजन करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-07 (अराजपत्रित स्थापना), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)।  
30.01.26